UPJS160008712018

न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर ,झांसी।

परिवाद सं०- ६२/ २०१८

श्रीमती रूबी बनाम अनिल कुमार आदि

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

दि०- २०. १०. २०२१

पत्रावली पेश हुई ।परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि **विपक्षीगण अनिल कुमार तनय कृपाराम, कृपाराम तनय किशनलाल, श्रीमती रामकुमारी पत्नी कृपाराम, सुमन पुत्री कृपाराम, कमलेश तनय भगवानदास, श्रीमती ममता पत्नि कमलेश एवं हल्काई तनय दल्ले बरार समस्त निवासीगण ग्राम भसनेह, थाना- गुरसराय, जिला- झाँसी** के रहने वाले है उक्त विपक्षीगण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ऐसे स्थान में निवास कर रहे है जो इस न्यायालय की अधिकारिता से परे है, जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम बराकार अब्दुल अजीज 2013(2 ACC) 488, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने पवन कुमार यादव और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य 2014 (1) जी०आई०सी० 211** में यह अवधारित किया गया है कि तलबी करने से पूर्व यदि अभियुक्तगण उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करते है तो मजिस्ट्रेट अवश्य पुलिस अधिकारी से धारा- २०२(१) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्मन जारी करने से पूर्व अन्वेषण कराये कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आधार पर्याप्त है या नहीं तथा धारा २०२(१) दं०प्र०सं० में यह प्रावधान है कि यदि परिवाद में वर्णित अभियुक्तगण किसी अन्य स्थान में निवास करता है जिस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता नहीं है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है या नहीं या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जाने के लिये निर्देश देगा। अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये **विपक्षीगण अनिल कुमार तनय कृपाराम, कृपाराम तनय किशनलाल, श्रीमती रामकुमारी पत्नी कृपाराम, सुमन पुत्री कृपाराम, कमलेश तनय भगवानदास, श्रीमती ममता पत्नि कमलेश एवं हल्काई तनय दल्ले बरार समस्त निवासीगण ग्राम भसनेह, थाना- गुरसराय, जिला- झाँसी** के इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे निवास को देखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि उक्त प्रकरण में धारा- २०२(१) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्बंधित थाने द्वारा अन्वेषण कराया जाना उचित होगा।

सम्बंधित थानाध्यक्ष मऊरानीपुर, जिला- झांसी को आदेशित किया जाता है कि परिवाद सं०- ६२/ २०१८ में धारा- २०२(१) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पत्रावली में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक- ०६. ०१. २०२२ को पेश हो।

(नूपुर श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर,
झांसी।
J. O. Code No. - UP2503

Digitally signed by Noopur Srivastava
Date: 2021.10.20 17:05:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court